पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 213/2024 दिनांक- 08.07.2024

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना सिधारी

06 लाख से अधिक रूपये का गबन करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक- 23.02.2024 को थाना स्थानीय पर वादी मुकदमा अजय यादव पुत्र पुत्र शोभनाथ यादव निवासी हथौड़ा थाना रामपुर जनपद गाजीपुर हाल पता शाखा प्रबन्धक भारत फाईनेन्शियल इन्क्लूजन लिमिटेड कम्पनी शाखा हुसैनगंज आजमगढ़ का प्रार्थना पत्र बाबत अभियुक्त द्वारा कम्पनी भारत फाइनेंसियल ईन्क्लूजन लिमिटेड शाखा आजमगढ़ में फील्ड अफसर के पद पर कार्यरत रहते हुए समूह की महिलाओं से वसूल की गयी धनराशि 6,11,547 रुपये का गबन करना व वापस मांगनें पर देने से इंकार करना व गाली गलौच व धमकी देने के सम्बन्ध मे प्राप्त हुआ कि प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 63/2024 धारा 409/504/506 भादवि बनाम विकास गुप्ता पुत्र अनिल कुमार गुप्ता निवासी ग्राम सिसवारा नरावय थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 सुरेन्द्रनाथ द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। अभियुक्त विकास गुप्ता उपरोक्त का मुकदमा उक्त में गैर जमानतीय वारण्ट दिनांक 04.05.2024 को मा0न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ द्वारा जारी किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 08.07.2024 को उ0नि0 सुरेन्द्रनाथ मय हमराह द्वारा मुकदमा उक्त में नामित अभियुक्त विकास गुप्ता पुत्र अनिल कुमार गुप्ता साकिन सिसवारा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को नरौली तिराहे से समय 11.40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 63/2024 धारा 409/504/506 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त- विकास गुप्ता पुत्र अनिल कुमार गुप्ता साकिन सिसवारा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 सुरेन्द्रनाथ कां0 इन्दल कुमार थाना सिधारी आजमगढ़

थाना- कोतवाली

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

वादिनी मुकदमा थाना कोतवाली, आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि प्रार्थिनी 25 दिसंबर 2021 को अपने सहेलियों के साथ गिरजाघर पर घूमने गयी थी, विपक्षी विशाल त्रिपाठी पुत्र स्व0 फूलचंद त्रिपाठी निवासी निजामाबाद, रोड थाना रानी की सराय आजमगढ़ द्वारा प्रार्थिनी को बहला फुसला कर 28 दिसंबर 2022 में अपने साथ घूमने लेकर चला गया और होटलो में रखा। विशाल त्रिपाठी के साथ उसका दोस्त उज्जवल भी था, दोनों ने प्रार्थिनी के साथ मेरी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाये। प्रार्थिनी परीक्षा का बहाना बनाकर अपनी माँ से बता कर गयी थी। प्रार्थिनी जब लौट कर घर आयी तो उक्त विशाल त्रिपाठी ने प्रार्थिनी को तरह तरह से प्रलोभन तथा अपने को आत्मा हत्या करने की धमकी देकर घर के सोने के जेवरात मांग लिया जब प्रार्थिनी को थोड़ी समझदारी आई तब अपने व अपने परिवार की इज्जत व सही-गलत पर विचार किया तो प्रार्थिनी उक्त विशाल त्रिपाठी से बातचीत करना मिलना जुलना सब बंद कर दिया। तो उक्त विशाल त्रिपाठी ने फ़ोन और एस0एम0एस0 पर तरह- तरह की धमकी देने लगा। और कहने लगा की मैं तुम्हारे बहन की शादी नहीं होने दूंगा। तथा बहुत सारे फोटो व वीडियो जो बनाया है प्रार्थिनी के रिश्तेदारों के मोबाइल पर भेजने की धमकी दे रहा है। एक वीडियो उक्त विशाल त्रिपाठी ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी पोस्ट कर दिया था। जिसे बाद में कहने पर उसने हटाया। प्रार्थिनी लोकलज्जा के डर से घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं बता रही थी। जब उक्त विशाल त्रिपाठी तरह-तरह की धमकी दिया की वह घर के सामने आकर आत्महत्या कर लेगा, और रिश्तेदारों के फ़ोन पर फोटो वीडियो भेज देगा और अपनी नस काट लेगा और कई रिस्तेदारो को उसने रात के करीब 12 बजे फ़ोन भी किया और धमकी भी दी। तब प्रार्थिनी ने अपने पुरे परिवार को शुरू से अभी तक का घटनाक्रम बताया। उक्त घटना के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार मु0अ0सं0 347/24 धारा 376 डी /506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट दिनांक 7.6.24 को पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण –

दिनांक 8.7.24 को प्र0नि0 शशिमौलि पाण्डेय, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभि. उज्जवल गुप्ता उर्फ टीटू पुत्र मोहन लाल गुप्ता नि0 रानी की सराय निकट रेलवे स्टेशन थाना रानी की सराय आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष को रानी की सराय रेलवे स्टेशन मोड़ के पास से नियमानुसार समय 9.10 बजे गिरफ्तार किया गया, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1-उज्जवल गुप्ता उर्फ टीटू पुत्र मोहन लाल गुप्ता नि0 रानी की सराय निकट रेलवे स्टेशन थाना रानी की सराय आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष

पंजीकृत अभियोग- 1. मु0अ0सं0 347/24 धारा 376 डी /506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवालीआजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम – प्र0नि0 शशिमौलि पाण्डेय, कां0 महातम गौड़,कां0 राहुल राम थाना कोतवाली आजमगढ़

थाना कोतवाली आजमगढ़

थाना- बरदह

अवैध देशी तमन्चा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 07.07.24 को वादी व0उ0नि0 कमलकान्त वर्मा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त अनिल यादव पुत्र शोभनाथ यादव निवासी ग्राम रामपुर हदिशा थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ को एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ ग्राम राजेपुर से समय करीब 19.50 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 226/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अनिल यादव उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1-अनिल यादव पुत्र शोभनाथ यादव निवासी ग्राम रामपुर हदिशा थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरणः-

1-एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 226/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0 226/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. व0उ0नि0 कमलकान्त वर्मा थाना बरदह, आजमगढ़
2. हे0का0 राजू कुमार थाना बरदह, आजमगढ़
3. का0 नितिन कुमार श्रीवास्तव थाना बरदह, आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना देवगांव: हत्या के 02 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये जुर्माना

➡ दिनांक- 04.02.2020 को वादिनी मुकदमा अजली गुप्ता पत्नी अमित कुमार गुप्ता नि0 सिंहपुर थाना देवगांव आजमगढ़ ने थाना देवगांव पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी 1- अमित सोनकर उर्फ मुलायम पुत्र राजेन्द्र सोनकर निवासा हनुमानगढ़ी कटघर लालगंज थाना देवगांव, 2-शाहकमर पुत्र हाजी सुहैल नि0 बनारपुर थाना देवगांव आजमगढ़ द्वारा मसीरपुर लालगंज के पास बारात ले जाते समय वादिनी के देवर सुमित गुप्ता (दुल्हे) को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था।

➡ अभियुक्तों के विरूद्ध थाना देवगांव पर मु0अ0सं0- 36/2020 धारा 302 भादवि0 व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 11 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 08.07.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0- 06 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1- अमित सोनकर उर्फ मुलायम पुत्र राजेन्द्र सोनकर निवासा हनुमानगढ़ी कटघर लालगंज थाना देवगांव, 2-शाहकमर पुत्र हाजी सुहैल नि0 बनारपुर थाना देवगांव आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने किया थाना कंधरापुर का आकस्मिक निरीक्षण दिये आवश्यक दिशा निर्देश

दिनांक- 08.07.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा थाना कंधरापुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा निम्न दिशा-निर्देश दिये गये-

➡ थाना कार्यालय के अभिलेखो का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

➡ थाना परिसर की साफ सफाई का निरीक्षण कर अच्छी साफ सफाई नही दिखी, थाना प्रभारी को थाना परिसर में साफ सफाई कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

➡ पुलिस कर्मियों से लागू किये गये नये कानूनों से सम्बन्धित प्रश्न पूछे।

➡ पेंडिग विवेचनाओ के सम्बन्ध में सम्बन्धित विवेचको से स्थिती की जानकारी ले सम्बन्धित को निर्देश दिये गये।

➡ थाना कार्यालय के सीसीटीएनएस कक्ष का निरीक्षण कर नियुक्त कर्मचारियों को नये कानून के तहत पंजीकृत होने वाले मुकदमों के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

➡ थाना परिसर में लगाये गये सीसीटीवी कैमरो की स्थिती परखी।

➡ पेंडिग विवेचनाओ के सम्बन्ध में सम्बन्धित विवेचको से स्थिती की जानकारी ले, सम्बन्धित को निर्देश दिये गये।

थाना सरायमीर

चोरी की 02 बाइक व अवैध असलहा व कारतूस के साथ दो शातिर अपराधी गिरफ्तार

पूर्व की घटना/ -

आवेदक कमाल अहमद पुत्र खुर्शीद अहमद ग्राम खरेवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ने दिनांक 24.06.24 को प्रा0पत्र दिया कि मेरा छोटा भाई ग्राम शेरवा में रात का मैच देखने गया था पार्किंग में जगह कम होने के कारण सड़क किनारे गाड़ी लाक कर मैच देखने चला गया जब वापिस आकर देखा तो गाड़ी उस जगह से गायब थी बहुत खोजने पर भी नहीं दिखाई दी घटना का समय रात बारह से एक के बीच का हैं मेरी गाड़ी का रंग काला और नंबर UP 50 BX 0483 हैं जो 2020 का माडल है। तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 362/24 धारा 379 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक 07/07/2024 को प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह को सूचना मिली की खानपुर गाँव की तरफ से दो मोटर साइकिल पर सवार 02 (दो) व्यक्ति जो चोरी की मोटर साइकिल लिये है, जिससे चोरी की घटना को अंजाम देने व मोटर साइकिल बेचने के लिए आज निकले है। वह खानपुर गाँव के रास्ते से आने वाले है। उन लोगो के पास नाजायज तमंचा भी है, इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँचकर आने जाने वाले वाहनो का चेकिंग शुरू कर दी गयी, थोड़ी देर मे खानपुर गांव की तरफ से दो मोटर साइकिले तेजी से आती दिखाई दी। नजदीक आने पर पुलिस वालों द्वारा संदिग्ध जानकर रोकने का इशारा किया गया कि पुलिस वालो को देखकर मोटर साइकिल मोड़कर पीछे भागना चाहे कि हडबडाहट मे आपस मे दोनो मोटर साइकिल टकराकर असंतुलित होकर गिर गये व मोटरसाइकिल बन्द हो गयी कि पुलिस वाले हिकमत अमली से दोनो मोटर साइकिल सहित दो व्यक्तियो को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए जामातलाशी लिया गया तो प्रथम मोटर साइकिल पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम 1. मो0 उमैर पुत्र एकलाख अहमद निवासी ग्राम पेण्डरा, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ उम्र 23 वर्ष बताया। जिनके पास से वाहन संख्या यू0पी0 50 बी0एक्स0 0483 चेचिस न0- MBLHAW11XLHL57010 इंजन न0- HA11EVLHA4910 रंग काला सिल्वर हीरो होण्डा स्पेलेण्डर प्लस बरामद किया गया। व एक अदद तमंचा 315 बोर बरामद हुआ तथा 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ, दूसरे मोटरसाइकिल पर बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामातलाशी ली गयी तो अपना नाम 2. हिमांशु यादव पुत्र शंकर यादव निवासी मंजीरपट्टी थाना सरायमीर ,जनपद- आजमगढ उम्र 19 वर्ष बताया। जिनके पास से वाहन संख्या यू0पी0 50 सी0एच0 9645 रंग काला, हीरो स्पेलेण्डर प्लस बरामद हुआ। जिसको देखा गया तो इंजन नम्बर- HA11EDNHE93076 चेचिस नम्बर- MBLHAW122NHE58072 पाया गया व एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों को समय 16.22 बजे खानपुर के पास हिरासत पुलिस मे लेकर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 24.06.24 की रात शेरवा गाँव में मैंच चल रहा था। हिमांशु कुछ दूर पर निगरानी रखे हुए था मैंने मोटर साइकिल नं0 यू0पी0 50 बी0एक्स0 0483 का लाक तोड़कर चोरी कर लिये थे। हिमांशु यादव से दूसरी मो0सा0 के बारे में पूछा गया तो बता रहा हैं कि साहब दिनांक 12.06.2024 को रात्रि में ग्राम कैथीशंकरपुर, थाना देवगांव जिला आजमगढ़ में तेरहवीं का भोज चल रहा था कुछ दूर पर मो0 उमैर निगरानी कर रहा था मैंने मो0सा0 का लाक तोड़कर चुराए थे। आज हमलोग बेचने के लिये जा रहे थे आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया।

बरामदगी-

(1) 02 अदद मोटर साइकिल-

(2) 02 अदद तमंचा 315 बोर (3) 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. मो0 उमैर पुत्र एकलाख अहमद निवासी ग्राम पेण्डरा, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ
2. हिमांशु यादव पुत्र शंकर यादव निवासी मंजीरपट्टी थाना सरायमीर ,जनपद- आजमगढ

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 378/24 धारा 317(2),317(5),3(5) भारतीय न्याय संहिता थाना सरायमीर आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 379/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सरायमीर आजमगढ़ (अभि0 मो0 उमैर)
3. मु0अ0सं0 380/24 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना सरायमीर आजमगढ़(अभि0 हिमांशु यादव)

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0स0 362/24 धारा 379 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़

2- मु0अ0सं0 248/24 धारा 379 भादवि थाना देवगांव आजमगढ़

3.मु0अ0सं0 378/24 धारा 317(2),317(5),3(5) भारतीय न्याय संहिता थाना सरायमीर आजमगढ़

4.मु0अ0सं0 379/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सरायमीर आजमगढ़ (अभि0 मो0 उमैर)

5. मु0अ0सं0 380/24 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना सरायमीर आजमगढ़(अभि0 हिमांशु यादव)

गिरफ्तार करने वाले टीम-

1- प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय थाना सरायमीर आजमगढ़

2. उ0नि0 अभिषेक सिंह थाना सरायमीर आजमगढ़

3. का0 विक्रम यादव थाना सरायमीर आजमगढ़

4. का0 अजीत कुमार यादव थाना सरायमीर आजमगढ़

5.का0 शशिकान्त तिवारी थाना सरायमीर आजमगढ़

6. म0का0 संजू सरोज थाना सरायमीर आजमगढ़